फर्द अहकाम

लक्ष्मा व अन्य बनाम भगवानसहाय व अन्य

...ालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

...ा 21 / 2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उप.। प्रा.पत्र 0-7 R-11 पर निर्णय नहीं लिखा जा सका। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 28/02/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
28/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य राजकार्य [चुनाव सम्बन्धी ट्रेनिंग] मे व्यस्त है। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही पूर्वानुसार दिनांक 04.03.24 को पेश हो।	
04/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा.पत्र 0.7 R-11 पर एक माह पूर्व हो जाने से बहस पुनः सुनी गई। तथ्यो पर मनन किया गया। उभयपक्षकारान के अभिकथनो से यह स्पष्ट होता है कि वाद अधीन भूमि के संबंध मे समान पक्षकारान के मध्य पूर्व से ही एक अन्य वाद [illegible] न्यायालय मे लंबित है। उक्त पूर्ववाद [illegible] अप्रार्थी वादीगण [illegible] के आधार पर [illegible] जाकर प्रकरण मे [illegible] जावर हाल अप्रार्थी वादीगण जो कि उक्त वाद मे प्रतिवादी पक्षकार है, को साक्ष्य मे	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:21 IST
Reason: SelfAttested

P.T.O.

फर्द अहकाम

लक्ष्मण व अन्य **फर्द अहकाम** बनाम गोपालसहाय व

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 21 / 2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	04/03/24	नियत है। चूंकि यदि अप्रार्थी वादीगण भूमि वादग्रस्त के कोई वास्तविक हक अधिकार निहित है तो न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी वादीगण द्वारा चाहे गए अनुतोष उक्त पूर्ववर्ती वाद जो कि न्यायालय उपखंड अधिकारी आमेर समक्ष विचाराधीन है, में प्रस्तुत अप्रार्थी वादीगण की साक्ष्य से दृष्टिगत रूप से जावेगी। अतः न्यायालय उपखंड अधिकारी आमेर के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध समान अनुतोष व समान पक्षकारान के मध्य ही पूर्व से ही वाद विचाराधीन होने के आधार पर वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर संलग्न है। पत्रावली प्रकरण शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीमती श्यामा राठौड, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 21/2016
निर्णय दिनांक : 04.03.2024

1 लक्ष्मा बेवा रामू
2 भूरा पुत्र रामू
3 मोहरीलाल पुत्र रामू
4 गौरीलाल पुत्र रामू
5 रामगोपाल पुत्र रामू
6 श्रवण पुत्र रामू
7 रामकिशोर पुत्र रामू
8 कल्ली पुत्री रामू
9 [illegible] पुत्र लादू
10 पाचू पुत्र लादू
11 छोटू पुत्र लादू
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम घठवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।

--वादीगण

बनाम

1. भगवानसहाय पुत्र देवाराम (मृतक दौराने वाद)
1/1 हनुमान पुत्र भगवानसहाय
1/2 जगदीश पुत्र भगवानसहाय
1/3 जमना पुत्री भगवानसहाय
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम घठवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
1/4 तीजा पुत्री भगवानसहाय पत्नि छोटीलाल
हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम बासा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. नन्छी देवी पत्नि भैंरूराम
3. रामनारायण पुत्र भैंरूराम
4. गिरधारी पुत्र भैंरूराम
5. रुकमणी पुत्री भैंरूराम
6. विमला देवी पुत्री भैंरूराम
7. भूरी देवी पुत्री भैंरूराम
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम घठवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. हीरा पुत्र मुरली पुत्र मंगला
9. रेवडमल पुत्र मांगू
10. छाजू पुत्र मांगू
11. शंकरलाल पुत्र मांगू
12. गुलाब पुत्री मांगू
13. रामप्यारी पुत्री मांगू
14. ग्यारसा पुत्र चूना (मृतक दौराने वाद)
14/1 सूरज पुत्र ग्यारसा
14/2 कमलेश पुत्र ग्यारसा
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम घठवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
14/3 भूरी पुत्री ग्यारसा पत्नि शंकर
14/4 धापू पुत्री ग्यारसा पत्नि भगवान
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम बासा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
14/5 मनभर पुत्री ग्यारसा पत्नि कैलाश हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
14/6 आंची पुत्री ग्यारसा पत्नि कालू हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
15. धन्ना पुत्र चूना (मृतक दौराने वाद)
15/1 मन्नी बेवा धन्ना
16. प्रभात पुत्र पेमा
17. लल्लू पुत्र पेमा
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम घठवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
18. कालू पुत्र सेडू (मृतक दौराने वाद)
18/1 राजेश पुत्र कालू
18/2 मुकेश पुत्र कालू
18/3 प्रेम देवी बेवा कालू

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

19. बाबूलाल पुत्र महादेव
जाति जाट समस्त निवासी ग्राम घठवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।

लक्ष्मा व अन्य बनाम भगवानसहाय व अन्य
वाद सं. 21/2016

20 .सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर
21.उपपंजीयक आमेर उपपंजीयन कार्यालय आमेर जयपुर।

— प्रतिवादीगण

वाद घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

निर्णय

प्रार्थी प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 की ओर से वाद अधीन भूमि के ही संदर्भ में इन्हीं पक्षकारान के मध्य पूर्व से ही एक अन्य वाद दीगर राजस्व न्यायालय में लंबित होने तथा उक्तानुसार मियाद बाधित होने के आधार पर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत वाद वादीगण खारिज किये जाने के आशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि अप्रार्थी वादीगण द्वारा मिन प्रार्थी प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 व अन्य के विरूद्व हस्तगत वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख. न. 731, 781 कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 4.900 है0 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त भूमि के संदर्भ में एक अन्य वाद पूर्व से ही वाद संख्या 253/2008 बउनवानी भगवान सहाय व अन्य बनाम लक्ष्मा व अन्य समान अनुतोष का, समान पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष लंबित है।जिसमें प्रतिवादीगण पक्ष की जवाबदेहिता पूर्ण की जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में नियत है। उक्त वाद की समस्त प्रकियाओं की अप्रार्थी वादीगण को भली–भांति जानकारी है। जिसके आधार पर अप्रार्थी वादीगण जो कि उक्त लंबित वाद में प्रतिवादी पक्षकार स्थापित है, द्वारा दिनांक 23.10.2013 को जवाब दावा तथा दिनांक 25.06.2014 को प्रतिदावा भी प्रस्तुत कर अपने तथाकथित 1/5 हिस्से की घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थी वादीगण के उक्त प्रस्तुत जवाब दावा व प्रतिदावा के आधार पर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तनकीयात भी कायम जा चुकी है तथा उक्त अनुसरण में वादीगण/मिनप्रार्थीगण प्रतिवादीगण की साक्ष्य भी पूर्ण की जा चुकी है तथा प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत/लंबित है किन्तु फिर भी अप्रार्थी वादीगण द्वारा समान अनुतोष, समान भूमि हेतु हस्तगत पश्चातवृति वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया गया है जो इस तथ्य के अधीन पोषणीय नहीं है कि यदि अप्रार्थी वादीगण का भूमि वादग्रस्त में कोई वास्तविक हक अधिकार निहित है तो न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष उक्त पूर्ववृति वाद जो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन है, में प्रस्तुत अप्रार्थी वादीगण के प्रतिदावा के आधार पर तय हो जायेगे। जिससे अप्रार्थी वादीगण को नवीन वाद प्रस्तुत करने की ना तो आवश्यकता थी, ना ही उन्हे इसकी अनुमति दी जा सकती है, किन्तु फिर भी मौजूदा वादीगण ने विधि के स्थापित प्रावधानो की अवहेलना करते हुए हस्तगत पश्चात वृति वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जो किसी भी अवस्था में पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन पूर्व वृति वाद, प्रतिदावा तथा न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन पश्चात वृति वाद की विषय वस्तु तथा पक्षकार समान है तथा मौजूदा/हस्तगत वाद में चाहा गया अनुतोष व प्रतिदावा में [illegible] वादग्रस्त भूमि के संबंध में समान अनुतोष व समान पक्षकारों के मध्य पूर्ववृति [illegible] धीन होने की वजह से न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन [illegible] जावे। इसके अतिरिक्त भी हस्तगत वाद उक्त पूर्ववृति [illegible] रहते [illegible] वर्ष 2008 के 8 वर्ष उपरान्त वर्ष 2016 में न्यायालय हाजा में [illegible] जो मियाद बाधित होने के आधार पर भी संधारण व [illegible] फरमाया जावे। इसी प्रकार पूर्ववृति वाद के लंबित रहते कोई सक्षम वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के आधार पर भी वाद वादीगण खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों के दृष्टिगत सम्पूर्ण रूप से विधि द्वारा बाधित/वर्जित होने के आधार पर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

लक्ष्मा व अन्य बनाम भगवान सहाय वगैरह
वाद सं. 21/2016

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी वादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 253/2008 बउनवानी भगवान सहाय व अन्य बनाम लक्ष्मा व अन्य में मिनवादीगण द्वारा जो प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया था वह न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2015 को खारिज कर दिया गया था। जिससे मिन अप्रार्थी वादीगण के पास अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए मौजूदा/हस्तगत वाद पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। जिससे प्रस्तुत हस्तगत वाद आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों की परिधि में नहीं आने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा वाद के अन्तर्गत उल्लेखित तथ्य साक्ष्य के विषय है जो आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के बिन्दुओं में समाहित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वाद के मियाद बाधित होने से संबंधित तथ्य के संदर्भ में अप्रार्थी वादीगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा के वाद के लिए कानूनन कोई मियाद अवधि निर्धारित नहीं है। जिससे मियाद अवधि के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है तथा इसी प्रकार वाद कारण भी बण्डल ऑफ फैक्टस होता है। जिसका निर्धारण भी साक्ष्य के अधीन ही किया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थी वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के अभिकथनों तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है, जो कि निर्विवाद तथ्य भी है कि जिस वाद ग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 731, 781 कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 4.900 है0 वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर के संदर्भ में अप्रार्थी वादीगण की ओर से हस्तगत वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि के ही संदर्भ में पूर्व से ही एक अन्य वाद समान अनुतोष, समान भूमि व समान पक्षकारान के रूप में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष वाद 253/2008 बउनवानी भगवान सहाय व अन्य बनाम लक्ष्मा व अन्य लंबित है जो साक्ष्य प्रतिवादी की प्रकिया में नियत है। जिसके लंबित रहने संबंधित तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष समान विषय वस्तु व समान अनुतोष का प्रस्तुत किया गया है। जबकि स्वयं अप्रार्थी वादीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष लंबित वाद में हस्तगत अप्रार्थी वादीगण द्वारा जवाब दावा व प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया गया था, जो कि न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। जिसके संदर्भ में अप्रार्थी वादीगण को कोई उज्र आपति अथवा असंतुष्टि थी तो अप्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रस्तुत की जा सकती थी, परन्तु विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत उक्त असंतुष्टि के कम में नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उभयपक्षकारान के अभिकथनों से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त पूर्ववृति वाद में अप्रार्थी वादीगण के जवाब व प्रतिदावा के आधार पर तनकीयात विरचित की जाकर प्रकरण में वादी साक्ष्य पूर्ण की जाकर हाल अप्रार्थी वादीगण जो कि उक्त वाद में प्रतिवादी पक्षकार है, की साक्ष्य में नियत है। जिससे यदि अप्रार्थी वादीगण के भूमि वादग्रस्त में कोई वास्तविक हक अधिकार निहित है तो न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष उक्त पूर्ववृति वाद जो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन है में प्रस्तुत अप्रार्थी वादीगण की साक्ष्य के दृष्टिगत तय हो जायेंगे। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष वाद ग्रस्त भूमि के संदर्भ में समान अनुतोष व समान पक्षकारान के मध्य ही पूर्व से ही वाद विचाराधीन होने के आधार पर वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

(श्यामा राठौड़)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर